विचार बिन्दु

महापुरुषों का सर्वश्रेष्ठ सम्मान हम उनका अनुकरण कर के ही कर सकते हैं। –महात्मा गांधी

विधायक को पेंशन, विश्वविद्यालय के कार्मिकों को क्यों नहीं?

राजस्थान में लोकतंत्र का एक अजीब चेहरा सामने दिखाई देता है। जनता के वोट से चुना गया विधायक पांच वर्ष तक विधानसभा में प्रतिनिधित्व करता है और कार्यकाल समाप्त होने के बाद उसके लिए पेंशन और अनेक सुविधाओं की व्यवस्था हो जाती है। दूसरी ओर विश्वविद्यालय का प्रोफेसर, वैज्ञानिक या कर्मचारी 33-35 वर्ष तक विद्यार्थियों को पढ़ाता है, शोध करता है, किसानों के लिए नई तकनीक विकसित करता है, विश्वविद्यालय को खड़ा करता है और अपना पूरा जीवन संस्थान को समर्पित कर देता है-लेकिन सेवानिवृत्ति के बाद उसे अपनी पेंशन के लिए सरकारी दफ्तरों और विश्वविद्यालय के चक्कर लगाने पड़ते हैं।

क्या यही सामाजिक न्याय है?

यह सवाल आज राजस्थान सरकार और समाज दोनों के सामने खड़ा है।

विधायक जनता के प्रतिनिधि हैं। उन्हें सम्मान और सुविधाएं मिलनी चाहिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को उचित वेतन और पेंशन देने पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि जिस राज्य में जनप्रतिनिधि के लिए आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है, उसी राज्य में दशकों तक शिक्षा और अनुसंधान की सेवा करने वाले विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त शिक्षक-कर्मचारी पेंशन के लिए संघर्ष क्यों करें?

राजस्थान विधानसभा के सदस्यों को वेतन के साथ निर्वाचन क्षेत्र भत्ता, आवास, टेलीफोन, यात्रा, दैनिक भत्ता, वाहन, चिकित्सा और अन्य सुविधाएं प्राप्त होती हैं। यात्रा के लिए निर्धारित सीमा तक प्रतिपूर्ति की व्यवस्था है। निर्वाचन क्षेत्र में भ्रमण के लिए वाहन अथवा उसके स्थान पर निर्धारित राशि का प्रावधान है। जयपुर में आवास तथा अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध हैं।

इन सबके बाद पूर्व विधायक के लिए पेंशन की व्यवस्था भी है।

पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का उदाहरण इस व्यवस्था को और स्पष्ट करता है। धनखड़ 1993 से 1998 तक राजस्थान की किशनगढ़ विधानसभा सीट से विधायक रहे थे। पूर्व विधायक के रूप में उन्हें लगभग 42,000 प्रतिमाह पेंशन मिलने की बात सामने आई है। पूर्व उपराष्ट्रपति और पूर्व सांसद के रूप में मिलने वाली पेंशन को जोड़ने पर उनकी कुल मासिक पेंशन लगभग 2.73 लाख बताई गई है। इसके अतिरिक्त उन्हें मुफ्त चिकित्सा सुविधा और दिल्ली में रहने के लिए एक बंगला भी दिया जा रहा है। अर्थात सार्वजनिक जीवन में अलग-अलग संवैधानिक एवं निर्वाचित पदों पर की गई सेवा के लिए अलग-अलग पेंशन का प्रावधान मौजूद है।

यह किसी व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी नहीं, बल्कि व्यवस्था से जुड़ा सवाल है। जब पांच वर्ष विधायक रहने वाले व्यक्ति के लिए पेंशन की व्यवस्था हो सकती है, तो 33-35 वर्ष तक विश्वविद्यालय में शिक्षक, वैज्ञानिक अथवा कर्मचारी के रूप में सेवा करने वाले व्यक्ति की पेंशन व्यवस्था इतनी विवादित और अनिश्चित क्यों हो?

यहीं से विश्वविद्यालय के पेंशनरों का सवाल शुरू होता है।

एक प्रोफेसर 33-35 वर्ष तक सेवा करता है। वह विद्यार्थियों की कई पीढ़ियां तैयार करता है। कृषि विश्वविद्यालय का वैज्ञानिक किसानों की समस्याओं पर शोध करता है। कोई कर्मचारी प्रयोगशाला, पुस्तकालय, प्रशासन, फार्म, अनुसंधान केंद्र या विश्वविद्यालय की अन्य व्यवस्था को दशकों तक संभालता है। उसकी पूरी कार्यशील जिंदगी विश्वविद्यालय के नाम हो जाती है।

फिर एक दिन वह सेवानिवृत्त होता है।

और उसके सामने सवाल खड़ा हो जाता है-अब पेंशन कौन देगा?

विश्वविद्यालय कहता है-हमारे पास पर्याप्त संसाधन नहीं हैं।

सरकार कहती है-विश्वविद्यालय स्वायत्त संस्थाएं हैं।

और इस 'सरकार बनाम विश्वविद्यालय' के बीच पेंशनर कहां जाए?

क्या उसने अपनी सेवा किसी निजी संस्था में की थी?

क्या विश्वविद्यालय राज्य की शिक्षा व्यवस्था का हिस्सा नहीं हैं?

क्या कृषि विश्वविद्यालयों ने राजस्थान के किसानों, कृषि वैज्ञानिकों और विद्यार्थियों के लिए काम नहीं किया?

यदि सरकार विश्वविद्यालयों से शिक्षा और अनुसंधान की जिम्मेदारी लेती है, उनकी नीतियां निर्धारित करती है, उनके प्रशासनिक ढांचे में हस्तक्षेप करती है और उनसे राज्य की कृषि एवं शिक्षा नीति के अनुरूप काम लेती है, तो सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा की जिम्मेदारी से वह पूरी तरह अलग कैसे हो सकती है?

यहां सबसे बड़ा विरोधाभास सामने आता है।

राजकीय महाविद्यालय का शिक्षक और विश्वविद्यालय का शिक्षक-दोनों शिक्षा देते हैं। दोनों ने वर्षों तक विद्यार्थियों को पढ़ाया। दोनों ने समाज के लिए काम किया। दोनों सरकारी शिक्षा व्यवस्था के महत्वपूर्ण अंग रहे। फिर सेवानिवृत्ति के बाद दोनों के साथ अलग-अलग व्यवहार क्यों?

राजकीय महाविद्यालय के सेवानिवृत्त शिक्षक को राज्य के कोषागार से नियमित पेंशन मिल सकती है, लेकिन विश्वविद्यालय के शिक्षक को अपनी पेंशन के लिए संघर्ष करना पड़े-यह व्यवस्था समानता के संवैधानिक सिद्धांतों के अनुरूप कैसे मानी जा सकती है?

विधायक को पेंशन मिले-यह लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा है। लेकिन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, वैज्ञानिक और कर्मचारी को उसकी जीवनभर की सेवा के बाद पेंशन के लिए तरसना पड़े-यह लोकतंत्र की संवेदनशीलता पर प्रश्नचिह्न है।

राजस्थान के कृषि विश्वविद्यालयों में स्थिति और अधिक चिंताजनक है। पेंशन की समस्या केवल एक-दो व्यक्तियों की समस्या नहीं है। यह उन हजारों सेवानिवृत्त शिक्षकों, वैज्ञानिकों और कर्मचारियों की पीड़ा है जिन्होंने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा विश्वविद्यालयों को दिया है।

पेंशन में देरी, महंगाई राहत के भुगतान में असमानता, वेतन आयोग के लंबित लाभ, ग्रेच्युटी और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों में विलंब-ये सब केवल प्रशासनिक समस्याएं नहीं हैं। इनके पीछे किसी वृद्ध व्यक्ति का घर, परिवार और जीवन जुड़ा होता है।

सरकार के लिए किसी पेंशन की फाइल शायद एक फाइल हो सकती है, लेकिन पेंशनर के लिए वही फाइल उसकीमासिक जीवन-रेखाहोती है।

और सबसे महत्वपूर्ण बात-पेंशन कोई पुरस्कार नहीं है।

पेंशन कर्मचारी की सेवा के बदले अर्जित सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा है।

जिस व्यक्ति ने अपनी जवानी और कार्यशील जीवन राज्य को दिया है, उसके बुढ़ापे की सुरक्षा राज्य की जिम्मेदारी होनी चाहिए।

यहां विधायक और विश्वविद्यालय कर्मचारी की तुलना इसलिए आवश्यक हो जाती है क्योंकि इससे सरकारी प्राथमिकताओं का आईना सामने आता है।

एक विधायक पांच वर्ष के कार्यकाल के बाद पूर्व विधायक हो जाता है और पेंशन का पात्र बनता है। दूसरी ओर एक विश्वविद्यालय कर्मचारी को पेंशन के लिए तीन दशक से अधिक सेवा करनी पड़ सकती है और फिर भी उसका अधिकार विवाद का विषय बना दिया जाता है।

पांच साल बनाम पैंतीस साल।

एक तरफ राजनीतिक सेवा, दूसरी तरफ शैक्षणिक और वैज्ञानिक सेवा।

एक तरफ सुविधाओं से युक्त पदावधि के बाद पेंशन की सुरक्षा, दूसरी तरफ जीवनभर की सेवा के बाद पेंशन के लिए संघर्ष।

क्या राजस्थान के नीति-निर्माताओं ने कभी इस विरोधाभास पर गंभीरता से विचार किया है?

यह सवाल विधायकों की पेंशन समाप्त करने का नहीं है। सवाल यह है कि जब राज्य अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए पेंशन की व्यवस्था कर सकता है तो अपने विश्वविद्यालयों के सेवानिवृत्त शिक्षकों और कर्मचारियों को उसी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा देने में उसे क्या आपत्ति है?

क्या शिक्षा का महत्व राजनीति से कम है?

क्या विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाला प्रोफेसर समाज निर्माता नहीं है?

क्या वह कर्मचारी जिसने दशकों तक विश्वविद्यालय की व्यवस्था संभाली, सेवानिवृत्ति के बाद सम्मानजनक जीवन का अधिकारी नहीं है?

और यदि इन सभी सवालों का उत्तर 'नहीं' है, तो फिर विश्वविद्यालय पेंशनरों के साथ यह अन्याय क्यों?

राजस्थान सरकार को अब इस समस्या को 'विश्वविद्यालय का आंतरिक मामला' मानकर टालने की नीति छोड़नी चाहिए। राज्य के विश्वविद्यालयों की पेंशन व्यवस्था पर एक स्पष्ट, स्थायी और समान नीति बनाई जानी चाहिए। पेंशन का नियमित भुगतान, महंगाई राहत में समानता, वेतन आयोग के लंबित लाभ और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित होना चाहिए।

सरकार चाहे तो इसके लिए एक पृथक पेंशन कोष बनाए, बजटीय प्रावधान करे अथवा विश्वविद्यालयों को आवश्यक अनुदान दे। लेकिन यह तय करना होगा कि सेवानिवृत्त शिक्षक और कर्मचारी अपनी वृद्धावस्था में आर्थिक असुरक्षा के शिकार नहीं होंगे।

राजस्थान को यह तय करना होगा कि वह अपने वृद्ध शिक्षकों और कर्मचारियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहता है।

क्या पेंशन केवल विधायक होने का विशेषाधिकार है?

क्या 33-35 वर्ष की विश्वविद्यालय सेवा का कोई मूल्य नहीं?

क्या शिक्षक और वैज्ञानिक की सेवा का सम्मान केवल तब तक है जब तक वह नौकरी में है?

इन सवालों से सरकार बच नहीं सकती।

लोकतंत्र केवल चुनाव जीतने और सरकार बनाने का नाम नहीं है। लोकतंत्र का असली अर्थ है-न्याय, समानता और संवेदनशील शासन।

विधायक को पेंशन मिले-यह लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा है। लेकिन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, वैज्ञानिक और कर्मचारी को उसकी जीवनभर की सेवा के बाद पेंशन के लिए तरसना पड़े-यह लोकतंत्र की संवेदनशीलता पर प्रश्नचिह्न है।

अब समय आ गया है कि राजस्थान सरकार विश्वविद्यालय पेंशनरों की समस्या को फाइलों में दबाकर रखने के बजाय उसका स्थायी समाधान करे।

क्योंकि अंततः सवाल सिर्फ पेंशन का नहीं है।

सवाल यह है कि जिस समाज ने शिक्षक से अपना भविष्य बनाने की अपेक्षा की, क्या वह उसके बुढ़ापे का भविष्य सुरक्षित करने को भी तैयार है?

और इस सवाल का जवाब राजस्थान सरकार को देना ही होगा।

-अतिथि सम्पादक,
प्रोफेसर (डा.) पी. सी. कंठालिया
पूर्व विभागाध्यक्ष (मृदा विज्ञान) एवं मुख्य वैज्ञानिक
महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर

युवा शक्ति को प्राथमिकता, विकसित राजस्थान का संकल्प

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के रोजगार, कौशल विकास और उद्यमिता के माध्यम से प्रदेश के युवाओं को अवसर देने की दिशा में विशेष प्रयास

दीपक नंदी

राजस्थान के विकास की सबसे बड़ी ताकत उसकी युवा शक्ति है। प्रदेश के लाखों युवा शिक्षा, रोजगार और बेहतर भविष्य की आकांक्षाओं के साथ आगे बढ़ रहे हैं। राज्य सरकार की नीतियों में युवाओं को प्राथमिकता मिलना अहम प्रशासनिक निर्णय के साथ ही राजस्थान के भविष्य से जुड़ा महत्वपूर्ण विषय है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में विगत ढाई वर्षों के दौरान युवा रोजगार, कौशल विकास, शिक्षा, तकनीकी ज्ञान और उद्यमिता पर विशेष जोर दिया गया है। यह प्रदेश की विकास यात्रा में युवाओं की भूमिका को रेखांकित करती है।

युवाओं के लिए रोजगार सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक है। वर्तमान राज्य सरकार के ढाई वर्षों में 1 लाख 90 हजार पदों पर नियुक्तियां दी गई हैं, जबकि 1 लाख 20 हजार पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। वर्ष 2026 में 1 लाख 25 हजार पदों के लिए भर्ती कैलेंडर जारी किया गया है। इन आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि रोजगार के क्षेत्र में सरकार ने अपनी प्राथमिकता में शामिल किया है। सरकारी नियुक्तियां युवाओं को स्थिर रोजगार उपलब्ध कराने का महत्वपूर्ण माध्यम हैं। साथ ही, रोजगार की बढ़ती आकांक्षाओं को देखते हुए निजी क्षेत्र, उद्योग, स्वरोजगार और उद्यमिता के अवसरों का विस्तार भी जरूरी है।

युवा वर्ग के विश्वास को मजबूत करने के लिए भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, समयबद्धता और निष्पक्षता पर निरंतर ध्यान दिया जा रहा है। वर्तमान राज्य सरकार के कार्यकाल में सभी परीक्षाएं निष्पक्ष एवं बिना पेपर लीक हुए पूर्ण हुई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आगामी बजट को युवा शक्ति पर केंद्रित कर रहे हैं। रोजगार, शिक्षा एवं तकनीकी ज्ञान, कौशल विकास, युवा कल्याण और सर्वांगीण विकास को बजट के प्रमुख क्षेत्रों में शामिल करने से युवा नीति को व्यापक आधार मिल सकता है। राजस्थान के अलग-अलग जिलों की आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए युवा विकास की योजनाओं में स्थानीय आवश्यकताओं और रोजगार की संभावनाओं को महत्व दिया जा रहा है। जिला स्तर पर संचालित प्रशिक्षण केंद्रों को स्थानीय उद्योगों से जोड़ने पर विशेष बल दिया जा रहा है। टेक्सटाइल उद्योग की संभावना वाले जिलों में संबंधित कौशल का प्रशिक्षण और पर्यटन क्षेत्रों में हॉस्पिटैलिटी से जुड़ी दक्षताओं का विकास युवाओं को स्थानीय रोजगार से जोड़ने में सार्थक है।

कौशल विकास को प्रभावी बनाने हेतु प्रशिक्षण और उद्योगों की वास्तविक मांग के बीच समन्वय स्थापित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। राजस्थान में पर्यटन, हस्तशिल्प, कृषि आधारित उद्योग, वस्त्र, खनन, नवीकरणीय ऊर्जा और सेवा क्षेत्र जैसे क्षेत्रों में अलग-अलग प्रकार की संभावनाएं हैं। इन क्षेत्रों के अनुरूप प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा युवाओं को केवल नौकरी पाने वाला नहीं, बल्कि रोजगार देने वाला बनाने की आवश्यकता पर जोर देते हैं। यह विचार युवाओं में उद्यमिता और आत्मनिर्भरता की भावना को प्रोत्साहित करता है। प्रशिक्षण केंद्रों में आधुनिक उपकरण, योग्य प्रशिक्षक, उद्योग विशेषज्ञों की भागीदारी और प्रशिक्षण के बाद रोजगार सहायता पर ध्यान दिया जा रहा है। कौशल विकास का उद्देश्य युवाओं को कार्यस्थल की वास्तविक आवश्यकताओं के लिए तैयार करना है।

प्रदेश में तकनीक और नवाचार ने व्यवसाय शुरू करने की संभावनाओं का विस्तार किया है। राजस्थान के युवा डिजिटल सेवाओं, पर्यटन, कृषि प्रसंस्करण, हस्तशिल्प, स्थानीय उत्पादों और नए व्यवसायिक क्षेत्रों में अपनी पहचान बना सकते हैं। इन क्षेत्रों में उद्यमिता के लिए कौशल के साथ पूंजी, मार्गदर्शन, बाजार और संस्थागत सहायता की भी व्यवस्था की जा रही है। राज्य में स्टार्टअप और छोटे उद्यमों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना, शैक्षणिक संस्थानों में उद्यमिता को बढ़ावा देना तथा स्थानीय उद्योगों के साथ युवाओं का संपर्क स्थापित करना उपयोगी कदम हैं। युवा महिलाओं की आर्थिक भागीदारी को बढ़ाने के लिए उन्हें प्रशिक्षण, डिजिटल साक्षरता, वित्तीय पहुंच और सुरक्षित कार्यस्थल जैसे विषयों को भी प्राथमिकता दी जा रही है।

युवा विकास की मजबूत बुनियाद गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है। शिक्षा को रोजगार और कौशल से जोड़ने के साथ रचनात्मक सोच, समस्या समाधान की क्षमता, नैतिक मूल्यों और सामाजिक जिम्मेदारी का विकास भी आवश्यक है। तकनीकी ज्ञान का महत्व लगातार बढ़ रहा है। डिजिटल अर्थव्यवस्था, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर सुरक्षा और आधुनिक उद्योगों से संबंधित दक्षताएं युवाओं के लिए नए अवसर खोल सकती हैं।

प्रदेश में शिक्षा संस्थानों और उद्योगों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर युवाओं को बदलती रोजगार आवश्यकताओं के लिए तैयार करने पर बल दिया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी डिजिटल संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का 'माई भारत' डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से युवाओं को स्वयंसेवा, नेतृत्व, कौशल विकास और नागरिक भागीदारी के अवसरों से जोड़ने पर विशेष ध्यान है। उनकी प्रेरणा से राजस्थान में 'सुयोग' प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है। युवा शक्ति का योगदान सामाजिक सेवा, पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता, रक्तदान और सामुदायिक गतिविधियों में महत्त्वपूर्ण है। 'सेवा संकल्प अभियान' के अंतर्गत स्वच्छता अभियान, रक्तदान शिविर और चिकित्सा शिविरों का आयोजन युवाओं को सामाजिक सरोकारों से जोड़ने की दिशा में उपयोगी प्रयास है। युवाओं के सुझावों और सहभागिता को नीति निर्माण में भी स्थान देने के प्रयास है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में युवाओं को विकास के केंद्र में रखने की दिशा स्पष्ट रूप से सामने आई है। रोजगार, शिक्षा, कौशल विकास, युवा कल्याण और उद्यमिता को एक-दूसरे से जोड़ने का प्रयास प्रदेश की दीर्घकालिक आवश्यकताओं के अनुरूप है। सरकारी भर्तियों के साथ निजी क्षेत्र में रोजगार, कौशल प्रशिक्षण की गुणवत्ता, उद्यमिता के लिए सहायता और शिक्षा के बाद अवसरों की उपलब्धता पर दिये जा रहे ध्यान के सार्थक परिणाम होंगे। राजस्थान के युवाओं में प्रतिभा, ऊर्जा और परिश्रम की कमी नहीं है। उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, उपयोगी कौशल, रोजगार के अवसर और आगे बढ़ने के लिए अनुकूल वातावरण की आवश्यकता है। सरकार, उद्योगों, शिक्षण संस्थानों और समाज के समन्वित प्रयासों से यह लक्ष्य अधिक प्रभावी ढंग से हासिल करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री का यह दृष्टिकोण कि राजस्थान का युवा केवल नौकरी मांगने वाला नहीं, बल्कि रोजगार देने वाला भी बने, प्रदेश के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण लक्ष्य प्रस्तुत करता है। अब इस लक्ष्य को योजनाओं, संसाधनों और परिणाम आधारित कार्यप्रणाली के माध्यम से मजबूत किया जा रहा है।

-दीपक नंदी, आईएएस
(से.नि.)

राजीविका से मिला संबल, वर्षा की आत्मनिर्भरता का आधार बना ब्यूटी पार्लर

- **राजीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के बाद वर्षा को समूह की गतिविधियों से जुड़ने का अवसर मिला**
- **अपने हुनर और रुचि को आजीविका का माध्यम बनाने के लिए आवश्यक सहयोग एवं मार्गदर्शन भी वर्षा को प्राप्त हुआ**

धौलपुर, (निसं)। विकसित भारत-जन सेवा अभियान के अंतर्गत सेवा की कहानी के माध्यम से जिले में सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं, कार्यक्रमों एवं सेवाओं से लाभान्वित होकर जिले के नागरिक अपनी मेहनत से सफलता की नई इबारत लिख रहे हैं। ये कहानियां बताती हैं कि सही मार्गदर्शन, सामूहिक सहयोग और स्वयं कुछ करने की इच्छाशक्ति के साथ व्यक्ति अपने जीवन में बदलाव की नई राह बना सकता है।

ग्राम मरैना निवासी वर्षा की कहानी भी इसी बदलाव और आत्मनिर्भरता की मिसाल है। राजीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के बाद वर्षा को न केवल समूह की गतिविधियों से जुड़ने का अवसर मिला, बल्कि उन्हें अपने हुनर और रुचि को आजीविका का माध्यम बनाने के लिए आवश्यक सहयोग एवं मार्गदर्शन भी प्राप्त हुआ।

समूह से जुड़ने के बाद मिली नई राह :-वर्षा के लिए राजीविका समूह से जुड़ना उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। समूह की बैठकों एवं गतिविधियों के माध्यम से उन्हें सामूहिक प्रयास, बचत, आर्थिक गतिविधियों और स्वरोजगार की संभावनाओं के बारे में जानकारी मिली। समूह से प्राप्त सहयोग ने उनके भीतर स्वयं का काम शुरू करने का विश्वास पैदा किया। वर्षा के मन में लंबे समय से अपने पैरों पर खड़े होने और अपनी आय का साधन विकसित करने की इच्छा थी। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने ब्यूटी पार्लर का व्यवसाय शुरू करने का निर्णय लिया। राजीविका समूह के सहयोग और मार्गदर्शन से उन्होंने अपने इस सपने को हकीकत में बदलने की दिशा में कदम बढ़ाया।

वर्षा ने अपने हुनर को व्यवसाय से जोड़ते हुए ब्यूटी पार्लर की दुकान शुरू की। शुरुआत में यह उनके लिए एक नया अनुभव था, लेकिन मेहनत, लगन और निरंतर प्रयास के साथ उन्होंने अपने काम को आगे बढ़ाया। धीरे-धीरे आसपास की महिलाओं और ग्राहकों का भरोसा बढ़ा और ब्यूटी पार्लर उनकी आय का महत्वपूर्ण माध्यम बनने लगा। जहां पहले अपनी आर्थिक जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भरता की स्थिति रहती थी, वहीं स्वयं का व्यवसाय शुरू होने के बाद वर्षा को अपनी आय अर्जित करने का अवसर मिला। इससे उनके आत्मविश्वास में भी वृद्धि हुई और परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में मदद मिली।

आर्थिक स्थिति में आया सकारात्मक बदलाव :-ब्यूटी पार्लर से होने वाली आमदनी ने वर्षा के जीवन में धीरे-धीरे सकारात्मक बदलाव लाना शुरू किया। अपने व्यवसाय से प्राप्त आय को उन्होंने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने में उपयोग किया। आर्थिक रूप से सहयोगी बनने के साथ ही उन्हें यह विश्वास भी मिला कि यदि अवसर और सही मार्गदर्शन मिले तो महिलाएं अपने हुनर के दम पर स्वयं की आजीविका स्थापित कर सकती हैं।

वर्षा की कहानी केवल एक व्यवसाय शुरू करने की कहानी नहीं है, बल्कि यह आत्मविश्वास, सामूहिक सहयोग और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते कदमों की कहानी है। राजीविका समूह से जुड़ने के बाद उन्हें अपने हुनर को पहचानने और उसे आय के साधन में बदलने का अवसर मिला। वर्षा की सफलता यह संदेश देती है कि जब महिला को अवसर, सहयोग और मार्गदर्शन मिलता है तो वह न केवल स्वयं आत्मनिर्भर बन सकती है, बल्कि अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

गंगापुर सिटी में ब्लॉक स्तरीय जनकल्याण शिविर में लोगों की समस्याओं का समाधान

शिविर में 22 विभागों के अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे

गंगापुर सिटी, (निसं)। विकसित भारत जन चेतना अभियान के तहत एक ब्लॉक स्तरीय जनकल्याण शिविर लगाया गया। यह शिविर पंचायत समिति सभागार में हुआ। विकास अधिकारी डॉ. जगदीश गुर्जर ने बताया कि शिविर में 22 विभागों के अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे। उन्होंने ग्रामीण इलाकों से आए लोगों को मौके पर ही कई सरकारी योजनाओं का लाभ दिया। शिविर में बुचौलाई, नारायणपुर टटवाड़ा, हीरापुर, मीनापाड़ा, तलावड़ा, खेड़ाबाड़ रामगढ़, कुनकटा कलां, बामनबड़ौदा और बाढ़कलां जैसी ग्राम पंचायतों के ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान किया गया।

शिविर में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत आईएचएचएल को मंजूरी दी गई। स्वयं सहायता समूहों के लिए कर्ज के आवेदन लिए गए। राजस्व विभाग ने कई मामलों को मौके पर ही सुलझाया। चिकित्सा विभाग ने मां और बच्चे के स्वास्थ्य की जांच की। पशुपालन विभाग ने मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना की पॉलिसी बांटी। वहीं शिविर में बिजली विभाग ने भी मिले आवेदनों को सुलझाया। महिला एवं बाल विकास विभाग ने समेकित बाल विकास योजनाओं से जुड़े आवेदन लिए। जल संसाधन विभाग ने भी आवेदनों को मौके पर ही सुलझाया। पालनहार योजना का सत्यापन किया गया और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत किस्तों का लाभ भी दिया गया। चिकित्सा और आयुर्वेद विभाग ने मरीजों की जांच की, इलाज किया और दवाइयां बांटीं। राजस्व विभाग ने जाति और मूल प्रमाण पत्र सहित अन्य सेवाओं से जुड़े मामलों को सुलझाया। बाकी विभागों ने भी ग्रामीणों की समस्याओं को हल किया।

सचिव ने सुनीं समस्याएं

धौलपुर, (निसं)। धौलपुर में 60 दिवसीय मेगा अभियान के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण लगातार ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच बना रहा है। इसी कड़ी में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव रेखा यादव ग्राम गडरपुरा पहुंचीं, जहां उन्होंने ग्रामीणों से सीधा संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं और नि:शुल्क विधिक सहायता से जुड़ी योजनाओं की जानकारी दी। साथ ही ग्रामीणों को बताया कि पात्र और जरूरतमंद लोगों को विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से नि:शुल्क कानूनी सहायता और परामर्श उपलब्ध कराया जाता है।

राशिफल गुरूवार 24 सितम्बर, 2026

पंडित अनिल शर्मा

भाद्रपद मास, शुक्ल पक्ष, त्रयोदशी तिथि, गुरूवार, विक्रम संवत-2083, धनिष्ठा नक्षत्र प्रात: 10:35 तक, धृति योग दिन 3:55 तक, कौलव करण दिन 11:05 तक, चन्द्रमा आज कुम्भ राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-कन्या, चन्द्रमा-कुम्भ, मंगल-कर्क, बुध-कन्या, गुरू-कर्क, शुक्र-तुला, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह

आज रवियोग दिन 10:35 से आरम्भ होगी। आज पंचक है।

श्रेष्ठ चौघड़िया- शुभ सूर्योदय से 7:49 तक, चर 10:49 से 12:19 तक, लाभ अमृत 12:19 से 3:18 तक, शुभ 4:48 से सूर्यास्त तक।

राहुकाल- 1:30 से 3:00 तक, सूर्योदय 6:20, सूर्यास्त 6:18

मेष
आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक यात्रा संभव है। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा।

वृष
व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। व्यावसायिक अड़चनें दूर होने लगेंगी। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

मिथुन
नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा।

कर्क
चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान हो सकता है। आज आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

सिंह
परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में धार्मिक-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी।

कन्या
व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी। व्यावसायिक कार्यों में उचित सफलता मिल सकती है। व्यावसायिक कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। विवादित मामलों का निपटारा हो सकता है।

तुला
व्यावसायिक कार्यों के संबंध में उचित सोच-विचार हो सकता है। व्यावसायिक कार्यों में रचनात्मक सफलता मिल सकती है। स्वास्थ्य ठीक रहेगा।

वृश्चिक
घर-परिवार में धार्मिक-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में अतिथियों के आगमन से उत्सव जैसा माहौल रहेगा। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

धनु
परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। आज परिजनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी।

मकर
व्यावसायिक कार्यों के लिए समय अच्छा रहेगा। चलते कार्यों में प्रगति होगी। व्यावसायिक सुविधाओं में वृद्धि होगी। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा।

कुंभ
व्यावसायिक कार्यों के संबंध में शुभ संदेश प्राप्त होंगे। व्यावसायिक कार्य सुगमता से बनने लगेंगे। नौकरीपेशा व्यक्तियों को भागदौड़ से राहत मिलेगी।

मीन
पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। मन में असंतोष बना रहेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।